



संशोधित फर्द डिक्री मुकदमात इब्बादाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बड़जलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद  
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 121/2021

तारीख दायरा:- 21.09.2021

उनवान

1. परमानन्द पुत्र श्री गौरीशंकर जाति बैरवा निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद।
2. मेघराज पुत्र श्री गौरीशंकर जाति बैरवा निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद।
3. मुकेश पुत्र श्री गौरीशंकर जाति बैरवा निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद जिला कोटा।
4. राजेश पुत्री श्री गौरीशंकर जाति बैरवा निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद जिला कोटा।
5. जानकीबाई बेवा श्री गौरीशंकर जाति बैरवा निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद।

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955



उपरिथत :-

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण)

दिनांक :- 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु गुडा सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रुबरु श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेष होकर आदेश दिया जाता है कि--

माल ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 94 रकबा 0.81 हैक्टर आराजी में प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर उक्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद  
कोटा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद  
कोटा (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद, कोटा।

क्रमांक - 324

दिनांक - 13.4.22

तहसीलदार,  
तहसील सांगोद।

विषय - इजराय संख्या 21/22 उनवान ..... 42 पानिया ..... बनाम  
..... सुकन ..... मुताबिक निर्णय/डिक्री पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं० 121/21 ..... उनवान 42 पानिया .....  
बनाम ..... सुकन ..... के न्यायालय में दिनांक 12.3.22 को  
निर्णय-डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय/डिक्री की छाया प्रति  
मिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से  
स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.5.22 से पूर्व पालना करना  
सुनिश्चित करें।

संलग्न -

निर्णय-डिक्री की छाया प्रति

उपखण्ड अधिकारी सहित  
उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद

13/4/22

कार्यालय तहसीलदार (भू० अभि०) सांगोद जिला कोटा 27/22

क्रमांक/LR/2023/ 790

दिनांक- 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र० सं० 121/2021


उनवान परमानन्द / राज्य सरकार में जारी डिक्री दिनांक

21/09/21 की पालना में ग्राम रोहाना में नामान्तरकरण सं. 629

दिनांक 04/8/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी

है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

  
तहसीलदार (भू० अभि०)

तहसील सांगोद जिला कोटा

# जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

सम्बत :- 2075 - 2078

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 39

खाता संख्या पुराना :- 34

नाम का नाम :- रोलाना  
खेदार हल्का :- विनोदखुर्द  
ज.बि.नि. :- विनोदखुर्द  
हसीन :- सांगोद  
बेना :- कोटा

खेदार का नाम:-  
1. बानकीबाई पति स्व. गौरीशंकर हिस्सा- 1/5 जाति- बेरवा सा. घाटोल्या खातेदार  
2. परमानन्द पुत्र गौरीशंकर हिस्सा- 1/5 जाति- बेरवा सा. घाटोल्या खातेदार  
3. मुकेश पुत्र गौरीशंकर हिस्सा- 1/5 जाति- बेरवा सा. घाटोल्या खातेदार  
4. मेघराज पुत्र गौरीशंकर हिस्सा- 1/5 जाति- बेरवा सा. घाटोल्या खातेदार  
5. राजेश पुत्र गौरीशंकर हिस्सा- 1/5 जाति- बेरवा सा. घाटोल्या खातेदार,

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
0.8100	चाही तृतीय	0.8100	17.82		स्वीकृत नामान्तरकरण : 629 04/08/2022 न्याया. आदेश	
0.8100		0.8100	17.8200			

केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

प्रयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।